

राजस्थान सरकार
निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1(248)पीएस/निकाशि/93-1/131-164

दिनांक :- 8.5.2012

कार्यालय आदेश

विषय :- एस.बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 1218/2011 श्री ताराचन्द व अन्य बनाम श्री राजीव स्वरूप व अन्य अन्तर्गत एस.बी.सिविल याचिका संख्या 4956/08 ताराचन्द व अन्य 25 पुस्तकालयाध्यक्ष बनाम राज्य की पालना में एरियर राशि पर ब्याज के भुगतान बाबत।

एस.बी. याचिका संख्या 4956/08 में पारित निर्णय दिनांक 20.08.2010, खण्डपीठ की विशेष अपील संख्या 456/2011 में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2011 के विरुद्ध एस.एल.पी दायर किये जाने के फलस्वरूप उक्त एस.एल.पी. में पारित आदेश दिनांक 26.03.2012 के द्वारा विभागीय एस.एल.पी खारिज होने एवं विभाग द्वारा दायर की जाने वाली रिच्यू पिटिशन में पारित होने वाले निर्णय के अध्यक्षीन एकल पीठ के आदेश दिनांक 20.08.2010 की पालना में निम्नलिखित पुस्तकालयाध्यक्षों को यू.जी.सी वेतनमान एवं वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान की एरियर राशि पर दिनांक: 26-3-2008 से एरियर भुगतान की दिनांक तक की अवधि का 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से भुगतान हेतु विभागीय बजट शीर्ष मद 2202-03-103-(02) 32 डिक्रीटल व्यय (आयोजना भिन्न) से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नियमान्तर्गत आयकर की कटौती भी सुनिश्चित करावें।

क्र. स.	नाम पुस्तकालयाध्यक्ष	महाविद्यालय का नाम	दिनांक: 25-3-08 तक के एरियर पर देय ब्याज राशि
1.	श्री ताराचन्द (सेवानिवृत्त)	राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा	119847 /-
2.	श्रीमती लक्ष्मी शिवदासानी(सेवानिवृत्त)	राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा	105646 /-
3.	श्री गोपाल लाल गुप्ता (सेवानिवृत्त)	राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर	181793 /-
4.	गोविन्द बिहारी लाल माथुर (सेवानिवृत्त)	राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर	14406 /-
5.	श्री रमाशंकर शर्मा (सेवानिवृत्त)	राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर	18855 /-
6.	श्री सदाशिव शर्मा	राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा	59968 /-
7.	श्री पूरण सिंह गडासिया	एम.एस.जे राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर	9949 /-
8.	श्री सीताराम जाट	राजकीय महाविद्यालय, नागौर	49639 /-
9.	श्री अशोक कुमार	राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर	68149 /-
10.	श्री नन्द कुमार शर्मा	राजकीय महाविद्यालय, बारां	100328 /-
11.	श्री शिव नारायण गौड़	राजकीय कन्या महाविद्यालय, भरतपुर	38103 /-
12.	श्री हरि सिंह	राजकीय महाविद्यालय, बीबीरानी, (अलवर)	95578 /-
13.	श्री बाबूलाल मीणा	राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली	214733 /-
14.	श्री कैलाश चन्द शर्मा	राजकीय महाविद्यालय, करौली	83288 /-
15.	श्री मौहम्मद आरिफ खॉन	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बूंदी	60895 /-
16.	श्रीमती रूकमण जाट	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर	163025 /-
17.	श्रीमती उर्मिला कुमारी गुप्ता	राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर	98900 /-
18.	श्री एंथोनी ग्रेगरी फर्नान्डिस (सेवानिवृत्त)	राजकीय महाविद्यालय, चित्तौडगढ़	89570 /-
19.	श्री जयसिंह मीणा	राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर	62093 /-
20.	श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा	राजकीय कन्या महाविद्यालय, करौली	64859 /-
21.	श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ला	राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़	94518 /-
22.	सुश्री नानकी कोरानी	राजकीय महाविद्यालय, अजमेर	12723 /-
23.	श्री बंशीधर बिस्सा	राजकीय कन्या महाविद्यालय, पाली	59458 /-
24.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	42548 /-
25.	श्रीमती गुरिन्दर कौर	राजकीय महाविद्यालय, बयाना	62061 /-
26.	श्री राजकुमार पुरोहित (सेवानिवृत्त)	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर	182587 /-
		योग	2153519 /-

अतः निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित पुस्तकालयाध्यक्षों को एरियर के ब्याज की राशि का भुगतान आयकर की कटौती व अन्य नियमानुसार कटौती यदि कोई हो, के उपरान्त कर भुगतान रसीद फ़ैक्स नम्बर 0141-2706736, 01412703897, 01412702247 पर दिनांक 09.05.2012 तक आवश्यक रूप से भिजवायें ताकि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना का जवाब प्रस्तुत किया जा सकें।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101201653 दिनांक 8.5.2012 के अनुसरण में जारी की जाती है।

६०
(सुबीर कुमार)


निदेशक

दिनांक :- 8.5.2012

क्रमांक एफ1(248)पीएस/निकाशि/93-1/131-164

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय
2. निजी सचिव,, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
3. उप विधि परामर्शी कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर
4. डॉ. मुकेश शर्मा प्रवक्ता कॉलेज शिक्षा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अतिरिक्त महाधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त पालना आदेश की प्रति माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करावें।
5. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
6. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, विभागीय वेबसाईट पर आज ही अपलोड करें ।
7. स्थापना शाखा
8. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर